न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

आवेदन पत्र संख्या : 07 / 2024

बीरबल दत्तक पुत्र कुशलाराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट नि0 ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज0)।

प्रार्थी,

बनाम

1. भगवानी देवी पत्नी नेमाराम उम्र 51 वर्ष जाति जाट नि0 ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. भगवानी देवी पत्नी कुशलाराम उम्र 74 वर्ष जाति जाट नि0 ग्राम रायपुरा रायपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. उप पंजीयक, पलसाना।
4. पटवारी हल्का, खण्डेलसर।
5. पटवारी हल्का लढाणा।
6. तहसीलदार, दांतारामगढ़।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. " जसवन्त सिंह भूरियां, अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।

आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 19 .01..2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी कुशलाराम पुत्र हनुमानाराम का दत्तक पुत्र है। इस निमित प्रार्थी के दत्तक पिता कुशलाराम द्वारा प्रार्थी के हक में कार्या0 उप पंजीयक दांतारामगढ़ के यहां विधिवत रूप से दिनांक 30.08.2008 को गोदनामा भी पंजीकृत करवाया है। अप्रार्थीया सं0 2 प्रार्थी की दत्तक माता है, जिसने अप्रार्थी सं0 1 व उसके बहकावे में आकर प्रार्थी के हक में निष्पादित एंव पंजीकृत गोदनामा दिनांकित 30.08.2008 को मान0 न्याया0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय दांतारामगढ़ के यहां नियमित दीवानी वाद सं0ए51/16 उनवानी भगवानी देवी बनाम बीरबल आदि के जरिये चुनौतिग्रस्त भी किया था। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण निर्णय एंव डिकी दिनांकित 19.12.23 के जरिये किया जाकर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा पेश किया गया वाद प्रार्थी बीरबल को कुशलाराम पुत्र हनुमानाराम का दत्तक पुत्र मानते हुए खारिज कर दिया गया। प्रार्थी के दत्तक पिता कुशलाराम पुत्र हनुमानाराम के खाते कब्जे काश्त में निम्न कृषि भूमिया रही है। ग्राम खण्डेलसर में अवस्थित कृषि भूमियां ख0नं0 413, 414/463, 427,

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

428,429 कुल किता 5 कुल रकबा 2.70 है0 में से 1/2 हक हिस्सा एंव ग्राम रायपुरा प0ह0 लढाणा में अवस्थित कृषि भूमियां ख0नं0 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 कुल किता 9 कुल रकबा 3.63 है0 में से 1/8 हक हिस्सा, ग्राम रायपुरा में अवस्थित कृषि भूमियां ख0नं0 213, 214, 215, 219, 220 कुल किता 5 कुल रकबा 2.32 है0 में से 1/6 हक हिस्सा एंव ग्राम रायपुरा की कृषि भूमियां ख0नं0 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168/1009, 155, 155, 169 कुल किता 14 कुल रकबा 12.79 है0 में से 1/6 हक हिस्सा । प्रार्थी के दत्तक पिता कुशलाराम का देहान्त दिनांक 27.12.2015 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवनकला में आवेदन की मद सं0 3 में वर्णित अपने खाते, कब्जे, काश्त की भूमियों के संबंध में अंतिम वसीयन प्रार्थी के हक में निष्पादित करवाकर उप पंजीयक दांतारामगढ़ के यहां दिनांक 1.3.2011 को पंजीकृत करवा दी थी। अप्रार्थी सं0 1 व उसके पति नेमाराम ने अप्रार्थी सं0 2 जो कि एक चिडचिडे स्वभाव की महिला है, तो प्रार्थी के खिलाफ भडका दिया तथा उसने मान 0 व0सिविल न्यायाधीश महोदय, दांतारामगढ़ के यहां दावा सं0 51/16 भगवानी देवी बनाम बीरबल आदि के जरिये प्रार्थी के हक में उसके दत्तक पिता कुशलाराम की ओर से दिनांक 30.08.2008 को निष्पादित एंव पजींकृत गोदनाका को चैलेंज करवा दिया तथा मान0 न्यायालय के समक्ष भी एक झूंठा दावा सं0 36/2016 उनवानी भगवानी देवी बनाम बीरबल आदि तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश करवा दिया। माननीय न्याया0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ के यहां प्रस्तुत वाद सं0 51/16 उनवानी भगवानी देवी बनाम बीरबल आदि प्रार्थी को कुशलाराम का दत्तक पुत्र मानते हुए निर्णय एंव डिक्री दिनांकित 19.12.2023 के माध्यम से खारिज हो जाने के कारण अप्रार्थी सं0 1 व उसके पति नेमाराम को वर्णित कृषि भूमियों को हडपने की कुयोजना में सफलता नहीं मिलने का अंदेशा हो गया। इसपर उन्होंने योजना बदली तथा मान0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुकदमें में आगामी तारीख पेशी 24.1.2024 नियत होने के बावजूद तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 28.12.2023 को ही तलब करवाकर बिना प्रार्थी को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही नोट प्रेस में खारिज करवा लिया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके आवेदन पत्र की मद सं0 3 की उप मद सं0 क में वर्णित संपूर्ण ख0नं0 की भूमियो के बाबत जरिये ना0क0सं0 578 दिनांक 4.1.2024 एंव आवेदन पत्र की मद सं0 क,ख,ग,घ में वर्णित संपूर्ण खसरा नंबर की भूमियों तथा मद सं0 3 की उप मद ध में वर्णित ख0नं0 की भूमियों ख0नं0 156, 157,160, 165, 166, 167 कुल किता 6 कुल रकबा 7.00 है0 के संबंध में जरिये ना0क0सं0 928 दिनांक 5.1.24 अप्रार्थी सं0 2 एंव प्रार्थी का बहिस्सा बराबर विरासत के नामान्तकरण की अवैध कार्यवाही करवाते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया गया। जिसके बारे में प्रार्थी को किसी तरह की कोई सूचना व अवसर प्रदत्त नहीं किया गया। जबकि जब मृतक खातेदार कुशलराम द्वारा उपरोक्त नामान्तकरणों में वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में निष्पादित एंव पंजीकृत अंतिम वसीयत प्रार्थी के पक्ष में वैध रूप से कायम थी,जिसका उल्लेख स्वंय अप्रार्थी सं0 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये मुकदमों में किया

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

हुआ हो तो अप्रार्थी सं0 2 द्वारा स्वंय एंव प्रार्थी के हक में विरासत का नामान्तकरण भरवाने व स्वीकृत करवाने की कतई हक, अधिकारिणी नहीं थी। विरासत के बाबत भरे एंव स्वीकृत किये गये उपरोक्त दोनों ना0क0सं0 578 व 928 कतई विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी सं0 1 व उसके पति द्वारा आवेदन पत्र की मद सं0 5 में वर्णित अवैध कार्यवाही की निरंतरता में ही आवेदन की मदसं0 3 में वर्णित भूमियों में से जिन भूमियों के बाबत ना0क0सं0 578 की अवैध कार्यवाही करवाई गई थी, उन भूमियों के संबंध में अप्रार्थी सं0 2 से अप्रार्थी सं0 1 के हक में दिनांक 5.1.2024 को एक सर्वथा अवैध, शून्य एंव प्रभावहीन विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर उप पंजीयक पलसाना के यहां दिनांक 8.1.2024 को पंजीकृत करवा लिया । उक्त विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भूमि ख0नं0 413, 5414/463, 427, 428, 429 कुल किता 5 कुल रकबा 2.70 है0 तन ग्राम खण्डेलसर के संबंध में 1/4 हिस्से के बाबत निष्पादित एंव पंजीकृत करवाया गया है, जिन भूमियों के बाबत ना0क0सं0 928 की अवैध कार्यवाही करवाई गई है। उन भूमियों के संबंध में अप्रार्थीसं0 2 से अप्रार्थी सं0 1 के हक में दिनांक 5.1.2024 को एक सर्वथा अवैध शून्य एंव प्रभावहीन विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर उप पंजीयक को एक सर्वथा अवैध शून्य एंव प्रभावहीन विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया। उक्त विक्रय पत्र भूमियां ख0नं0 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 कुल किता 9 कुल रकबा 3.63 है0 तन रायपुरा के हिस्सा 1/6 ख0नं0 156, 157, 160, 165, 166, 169 कुल किता 6 कुल रकबा 7.00 है0 ग्राम रायपुरा के हिस्सा 1/12 तथा ख0नं0 213, 214, 215, 219, 220 कुल किता 5 कुल रकबा 2.32 है0 ग्राम रायपुरा के हिस्सा 1/12 के बाबत निष्पादित एंव पंजीकृत करवाया गया है। उक्त दोनों विक्रय पत्र मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अवैध नामान्तकरणों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुये अवैध इन्द्राजात के आधार पर निष्पादित एंव पंजीकृत करवाये गये जो पूर्णतया अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित एंव पंजीकृत करवाये गये है, जिनके तहत अफल का केवल मात्र कागजी हस्तान्तरण हुआ तथा कब्जे का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। क्योंकि कब्जा अप्रार्थी सं0 2 के पास था ही नही, बल्कि प्रार्थी के पास था तथा वर्तमान में भी है। अप्रार्थी सं0 1 को उपरोक्त दोनों विक्रय पत्रों के आधार पर किसी तरह के हक, अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा प्रार्थी के हक अधिकार किसी भी रूप में कम नहीं हो सकते है। प्रार्थी उक्त दोनों विक्रय पत्रों से कतई प्रतिबंधित नहीं है तथा ना ही उपरोक्त विक्रय पत्रों को प्रार्थी के खातेदारी हक, अधिकारों के मुकाबले सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की कोई विधिक आवश्यकता ही है। आवेदन की मद सं0 3 मेंवर्णित अपनी वसीयती उत्तराधिकार में प्राप्त समस्त कृषि भूमियों की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है जिस निमित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है कि वे विवादित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करे तथा यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित आए तथा जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 व 8 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 9 कानूनी है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व बेबुनियाद होने से सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 30.08.2008 का रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीकृत है। कुशलाराम की मृत्यु हो चुकी है। बीरबल दत्तक पुत्र नहीं हैं। मैं एक मात्र वारिस हूं। सिविल कोर्ट में फैसला हुआ और दावा खारिज किया गया। गोदनामे को सिविल कोर्ट ने 19.12.23 को सत्य माना है। दिनांक 1.3.2011 को कुशलाराम ने एक रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। दिनांक 24.1.24 को पहले मुकदमा चल रहा था। दिनांक 28.12.23को दावा ही विड्रा कर लिया। विरासत का नामान्तकरण खुल गया। 1/2 हिस्से का बीरबल एंव 1/2 हिस्से का भगवानी ने दिनांक 4.1.24 एंव 5.1.25 का नामान्तकरण खुलवा लिया। वसीयत का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिएथा। वसीयत को कहीं भी चैलेंज नहीं किया है। प्रथम दृष्टया मेरे पक्ष में है। टी0आई0 का आवेदन स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पेंशन का बहाना बनाकर लेकर गया और वसीयत करवा ली गई। भगवानी को विरासत में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। पति की मृत्यु के उपरान्त जो भी मिलता है। वह पैतृक प्रोपर्टी नहीं है। जो वसीयत की गई है। क्या वह सारी प्रोपर्टी स्वंय अर्जित थी। स्वंय अर्जित की ही वसीयत कर सकता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सारी प्रापर्टी स्वंय अर्जित है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 2 की सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है कि विवादित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह जा परिवर्तन नहीं करे तथा यथास्थिति बनाये रखे। जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि पेंशन का बहाना बनाकर लेकर गया और वसीयत करवा ली गई। भगवानी को विरासत में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। पति की मृत्यु के उपरान्त जो भी मिलता है। वह पैतृक प्रोपर्टी नहीं है। जो वसीयत की गई है। क्या वह सारी प्रोपर्टी स्वंय अर्जित थी। स्वंय अर्जित की ही वसीयत कर सकता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सारी प्रापर्टी स्वंय अर्जित है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 88 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन चल रहा है। बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर वाद एंव प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में उठाये गये बिन्दूओं का मेरिटस के आधार पर निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 07/2024 उनवानी बीरबल बनाम बीदामी देवी आदि के निस्तारण तक प्रार्थना–पत्र की मद सं0 3 में वर्णित विवादित भूमियों वाके ग्राम खण्डेलसर, रायपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर

निर्णय आज दिनांक 19.01.26 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर